(2)

| ख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | राजस्व वाद संख्या 05/2014 भवरसिंह बनाम सरदारसिंह अन्तर्गत धारा 88, 188 | |
| .2016 | वकील वादी उपस्थित प्रतिवादीगण के सम्मन पेश होने पर प्रकाशनार्थ जारी होकर दिनांक 29.06.2016 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, | |
| .2016 | वकील वादी उपस्थित। पत्रावली कैम्प कोर्ट खारावेरा पुरोहितान में पेश हुई। समाचार पत्र में प्रकाशित सम्मन की प्रति पेश कि प्रतिवादीगण कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है। मजमेआम में भी प्रतिवादीगण को आवाजे दिलाई गई कोई हाजिर नही आया अतः प्रतिवादी 1 से 20 विरूद्व इक तरफा कार्यवाही अमर में लाई जाती है। पत्रावली वास्ते पेश करने गवाह वादी दिनांक 01.07.2016 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, | |
| 2016 | वकील वादी उपस्थित। गवाह पुखसिंह पुत्र गुमानसिंह , बाबूसिंह पुत्र नाथूसिंह के साक्ष्य के शपथ पत्र पेश किये वादी और गवाह पेश नही करना चाहते है। गवाह वादी बन्द की जाती है। बहस सूनी गई वास्ते आदेश दिनांक 04.07.2016 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी | |
| 2016 | वकील वादी उपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख एवं गवाह के बयानों का ध्यान पूर्वक मनन किया वादीगण ने अपने वाद में दर्शाया है कि प्रतिवादी 1 से 17 इस गांव में निवास नहीं करते है। तथा सैटलमैन्ट में गलत नाम दर्ज हो गया है। मौके पर वादीगण का कब्जा काश्त है इसलिए वादीगण का नाम डिक्री जारी की जावे एवं प्रतिवादीगण 1 से 17 का नाम डिलिट किया जावें। मजमें आम में भी वादी के वाद के सम्बंध में जांच की गई तो पाया कि प्रतिवादीगण 1 से 17 इस गांव में निवास नही करते है अतः वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य से वाद वादी स्वीकार किया जाता है वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्रि इस अमर की जारी की जाती है कि वादीगण को ग्राम खाराबेरा पुरोहितान के खसरा नम्बर 1076 रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण 1 से 17 का नाम डिलिट किया जाता है। तथा स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादी 18 से 20 इस अमर की जारी की जाती है कि वे वादी के कब्जे काश्त में दखल अदांजी न तो स्वंय करें। न किसी अन्य से करवायें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी | |

Scanned by CamScanner